13 III

वसीयतनामा (बिना मालियत)

दिनांक 19 माह 1 वर्ष 98

मैं कि श्री/श्रीमती श्री करतार सिंह, पुत्र सरदार गुरमुख सिंह,

आयु 90 वर्ष

पुत्र/पत्नि/श्री सरदार गुरमुख सिंह

निवासी 27 नदी रिस्पना देहरादून।

Hardwar Road, DEHRA DUN.

फ़ोटो प्रमाणित कर्ता श्री वी० एम० डोभाल, एडवोकेट

हस्ताक्षर [signature]

T.I

वसीयतनामा

यह मुझ करतार सिंह पुत्र सरदार गुरमुख सिंह निवासी 27,नदी रिस्पना देहरादून,आयु 90 वर्ष का अन्तिम इच्छा पत्र और वसीयत है । मैं एतद्द्वारा अपने द्वारा पूर्व निर्मित समस्त इच्छापत्रों और कोड पत्रों को रद्द करता हूं ।

मैं डाक्टर का व्यवसाय करता था और कुछ वर्षों पहले मैंने अपना यह कार्य छोड दिया है । मैं पढा लिखा व्यक्ति हूं । मैं एक 90 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति हूं तथा जीवन का कोई भरोसा नहीं ना जाने कब ये प्राण रूपी पक्षी इस शरीर रूपी पिंजडे को छोड कर चला जाये ।

यह अक्सर देखा गया है कि मृत्यु के बाद मृतक की समस्त सम्पत्ति झगडों एवं मुकदमों में खुर्द-बुर्द हो जाती है । अतः मैं यह अपना कर्तव्य समझता हूं कि मरने से पहले अपने सहो व उचित वारिस नियुक्त कर दूं ।

मेरा मन ,मस्तिष्क,इन्द्रियां कार्यशील दशा में है और मुझे अपने भले-बुरे का ज्ञात है अतः मैं अपना स्वेच्छा से बिना किसी के सिखलाये बहकाये व बिना किसी दबाव के वरन् अपनी स्वतन्त्र इच्छा से निम्न प्रकार वसीयत करता हूं जिसका प्रभाव मेरे देहान्त पर तुरन्त लागू होगा ।

मेरे दो लडके है जिनका नाम कुलदीप सिंह सोंधी व हरचरण सिंह सौंधी है । मेरा बडा लडका कुलदीप सोंधी करनपुर बाजार में मेरे स्थान

पर पिछले लगभग पन्द्रह साल से डाक्टरी का काम करता है । मेरा दूसरा लड़का सरदार हरचरण सिंह सोधी सम्पत्ति संख्या 13/12 करनपुर बाजार में कैमिस्ट की दुकान करता है । मेरे चार लड़कियाँ है जिनके नाम व पते निम्न है :-

(1) श्रीमती प्रीतम कौर पत्नी सरदार ज्ञान सिंह निवासी अधोईवाला देहरादून ।

(2) श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी सरदार राजेन्द्र सिंह निवासी मसूरी देहरादून ।

(3) श्रीमती राजेन्द्र कौर पत्नी सरदार शरण सिंह निवासी बापू धाम नई दिल्ली ।

(4) श्रीमती मन्जीत कौर पत्नी सरदार परमजीत सिंह निवासी अधोईवाला देहरादून ।

(3) मेरे पास तीन अचल सम्पत्ति है जिनका विवरण नीचे दिया जाता है :-

(1) 27 नदी रिस्पना जिसका वर्तमान नं0 2/2 नदी रिस्पना ब्लाक -2 देहरादून है । इस सम्पत्ति में सड़क की ओर सामने कुछ खुली जमीन है । यह सम्पत्ति मेरी अन्य सम्पत्तियों से बिल्कुल अलग है ।

(2) सम्पत्ति संख्या 28 नदी रिस्पना जिसका वर्तमान नं0 3/3 नदी रिस्पना ब्लाक -2 देहरादून है। इस सम्पत्ति में दो दो कमरों के चार हिस्से है। इस सम्पत्ति से मिली हुई पूर्व की ओर मेरी भूमि है जिसमें साढे बारह फुट चौडी प्राइवेट रास्ता है जो सम्पत्ति सं0 27 के इस्तेमाल के लिये छोडा गया है। इसी सम्पत्ति के दक्षिणी पूर्वी भाग में एक पुराना मकान बना हुआ था जिसेमैने तुडवा दिया था और अब वह जगह खाली पडी है इसकी नाप लगभग 39-$\frac{1}{2}$ × 35$\frac{1}{2}$-- फुट है। इस खुली जमीन का रास्ता भी इसी साढे बारह फुट प्राइवेट रास्ते में खुलेगा। इस प्राइवेट रास्ते के दक्षिणी भाग में मैने एक गैराज बना रखा है।उसके ऊपर एक कमरा भी बना रखा है। इस खुले प्लाट का पश्चिमी भाग 35-$\frac{1}{2}$ फुट है जिसमें से 18 फुट गैराज की पूर्वी पक्की पत्थर की दीवार बनी हुई है जो गैराज का रास्ता है। इस प्रकार 39/2 × 35/2 वाले प्लाट के लिये पश्चिम की ओर 17$\frac{1}{2}$ फुट खुली जगह होगी जिससे साढे बारह फुट वाले रास्ते पर इस प्लाट के मालिक का आना जाना होगा।

इस गैराज से मिलता हुआ पूर्व की ओर एक ड्रेन (नाली) लगभग 9 इंच चौडी उत्तर से दक्षिण की ओर होती हुई इस 39-$\frac{1}{2}$ ×35-$\frac{1}{2}$

-T।

K. Te. Singh. S.I. [signature]

फुट वाले प्लाट से दक्षिण की ओर मिलती हुई पूर्व की ओर गली की नाली में मिल जाती है । इस ड्रेन को कोई बन्द नहीं करेगा ।

§3§ 13/12 करनपुर बाजार, देहरादून यह बिल्डिंग दो मंजिली है जो कि मैंने श्री जैय प्रकाश शर्मा पुत्र लखपत सिंह से बजरिये विक्रय पत्र दिनांक 8-2-46 कि जिसका पंजीकरण कार्यालय सब रजिस्ट्रार देहरादून में बही नं0 । जिल्द 314 के सफात 109/115 में नं0 158 पर दिनांक 9-2-46 को दर्ज है ।

मैं अपनी अन्तिम वसीयत के द्वारा अपने बडे पुत्र डाक्टर कुलदीप सिंह सौंधी को सम्पत्ति संख्या 27 नदी रिस्पना देहरादून जिसमें एक गैराज व उसके ऊपर एक कमरा बना है और नीचे एक रिहायशी मकान है, एवं कुछ खुली पडीभूमि है , देता हूं । यह कुल सम्पत्ति मेरे बडे पुत्र कुलदीप सिंह को मिलेगी ।

मेरी वह दूकान जिसमें मैं डाक्टरी का काम करता था और जिसमें अब मेरा बडा लडका डाक्टर कुलदीप सिंह सौंधी काम कर रहा है मेरे नाम से किराये पर है । क्योंकि वह इस दूकान पर डाक्टरी का काम करता है । इसलिये वह ही इस दूकान में मेरे जैसे अधिकार प्राप्त करेगा । मेरी किसी दूसरी सन्तान को इसमें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा ।

T1

आज कल मैं अपने बड़े बेटे डाक्टर कुलदीप सिंह सौंधी के साथ सम्पत्ति संख्या 27नदी रिस्पना में रह रहा हूं । इसी सम्पत्ति में मेरा छोटा लड़का सरदार हरचरण सिंह सौंधी भी अपने परिवार के साथ अलग रह रहा है क्योंकि मैं इस सम्पत्ति को अपने बड़े बेटे कुलदीप सिंह सौंधी को दे रहा हूं, इसलिये मेरी मृत्यु के उपरान्त अधिक से अधि एक साल में हर चरण सिंह सौंधी इस मकान को खाली कर देगा । मेरे मरने के बाद मेरे छोटे लड़के हरचरण सिंह सौंधी के लिये यह वाजिब नहीं होगा कि वह इस अवधि के बाद भी कुलदीप सिंह सौंधी को दी गयी सम्पत्ति में रहे । मेरे छोटे लड़के हरचरण सिंह सौंधी को इस सम्पत्ति से कोई हक नहीं रहेगा ।

मैं अपने छोटे बेटे सरदार हरचरण सिंह सौंधी को सम्पत्ति संख्या 13/12 बाजार करनपुर देता हूं । मेरी मृत्यु के पश्चात सरदार हरचरण सिंह सौंधी इस सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी होगा । इस सम्पत्ति के अलावा मैं अपने बेटे हरचरण सिंह को 27,नदी रिस्पना वाली सम्पत्ति में वह खाली भूमि जिसका नाप $39\frac{1}{2} \times 35\frac{1}{2}$ फुट है ,उसको मकान बनाने के लिये देता हूं ।

मैं 28 नदी रिस्पना सम्पत्ति में जिसमें दो-दो कमरों के चार भाग है और जिन्हें सेट नं0 1, सेट नं0 2 सेट नं0 3 व सेट नं0 4

से दर्शाया जा रहा है ,मैं सैट नं0 1 अपनी पुत्री सुरजीत कौर को देता हूं । सैट नं0 2 अपनी लडकी राजेन्द्र कौर को देता हूं । सैट नं03 अपनी लडकी प्रीतम कौर को देता हूं । सैट नं0 4 अपनी लडकी मन्जीत कौर को देता हूं । सैट नं0 1 उत्तर की ओर से शुरू होता है और उसके बाद सैट नं0 2,3,व 4 आते हैं ।

इस प्रकार सम्पत्ति सं0 28 नदी रिस्पना में वह भाग जिसमें भवन निर्मित है ,मेरी चारों लडकियों को मिलेगा ।

सम्पत्ति सं0 13/12 करनपुर बाजार के अलावा मेरे छोटे लडके सरदार हरचरण सिंह सौंधी को वह खुला प्लाट जिसकी नाप लगभग $39\frac{1}{2} \times 35\frac{1}{2}$ फुट है और जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है जो गैराज के पूर्वी ओर स्थित है मिलेगा ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि मेरे बेटे हरचरण सिंह सौंधी को सम्पत्ति सं0 27 नदी रिस्पना जिसमें गैराज व उसके ऊपर बना कमरा शामिल है और खुली भूमि है ,से कोई वास्ता नहीं रहेगा इस सारी सम्पत्ति का स्वामी मेरा बडा बेटा डा0 कुलदीप सिंह होगा ।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सम्पत्ति सं0 28 नदी रिस्पना के फ्लैट्स जो मैंने अपनी बेटियों को दिये है ,का एकमात्र रास्ता इस भवन के पश्चिम की ओर से साढे तीन फीट गली से होगा । इस

T.I

[signature]

साढे तीन फीट गली के बाद साढे बारह फुट वाला रास्ता है इस साढे बारह फुट रास्ते से 28 नम्बर के भवन स्वामियों का कोई वास्ता नहीं होगा ।

मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि इस वसीयत के जरिये जिस-जिस को जो-जो सम्पत्ति दी गयी है, वह उसके पूरे स्वामी होगें किसी दूसरे को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा ।

मेरी मृत्यु के समय मेरे पास जो भी चल सम्पत्ति होगी या कोई रूपया पैसा होगा वह मैं अपने बडे लडके डाक्टर कुलदीप सिंह सोंधी को देता हूं ।

यह कि भविष्य में या मेरी मृत्यु के बाद मेरा अन्य कोई उत्तराधिकारी उत्पन्न होकर मेरी चल अचल सम्पत्ति के बाबत कोई दावेदारी करे या अपना अधिकार बताये तो ऐसी दावेदारी इस वसीयत के सम्मुख व मेरी हार्दिक इच्छा के प्रतिकूल व निष्प्रभावी होगी।

यहां मैं यह भी स्पष्टकर देना चाहता हूं कि यदि भविष्य में कोई भी वसीयत करूंगा तो उस वसीयत पर अपने हस्ताक्षर के साथ-2 प्रत्येक पन्ने पर बायें हाथ के अंगूठे का निशान भी लगाऊंगा । मेरी बिना हस्ताक्षरित व बिना अंगूठे वाली वसीयत शून्य, नगन्य एवं अमान्य होगा ।

K. S. Bed.   -T.I

ANNEXU

इसके प्रमाण में मैं कथित सरदार करतार सिंह आज दिनांक 19-1-98 को अपनी स्वस्थ्य इन्द्रिय और स्थित बुद्धि की दशा में बिना बहकाये सिखलाये अपने अन्तिम इच्छा पत्र और वसीयत पर अपना हस्ताक्षर कर दिया व निशानी अंगूठा लगा दिया ।

K. Singh — T.I

.......वसीयतकर्ता

उपरनामांकित श्री करतार सिंह, वसीयतकर्ता ने एक साथ हम दोनों की उपस्थिति में हमारे सामने अपने हस्ताक्षर किये व अंगूठा लगाया और हम लोगों ने कथित वसीयतकर्ता के अनुरोध पर एक दूसरे की उपस्थिति में साक्षी के रूप में अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है ।

K. Singh — T.I

.......वसीयतकर्ता

साक्षी -1

Jagat Pogra
S/o Shri Hans Raj
V+P. Sahastra Dhara
D. Dun

साक्षी -2

V.M. Dobhal
Advocate
4/4, Hardwar Road,
DEHRA DUN.

रचयिता एवं फोटो सत्यापितकर्ता- श्री वी०एम०डोभाल एडवोकेट

टंकणकर्ता - योगेश शर्मा कचहरी देहरादून ।

~~सत्यप्रतिलिपि~~

बही नं० 3 जिल्द 7 में पृष्ठ 12

ए०डी०फा०बुक 3 जिल्द 9 में पृष्ठ 815/092

में नंबर 3 पर आज दिनांक 21-9-98

को रजिस्ट्री की गई।

सब रजि० [illegible], देहरादून